



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245604
CG-DL-E-02052023-245604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926]

No. 1926]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2014(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4791(अ) तारीख 07 अक्टूबर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापूर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापूर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरक्षण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 के भूखण्ड के निर्माण (छह /आठ लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18/10/2022 को दिव्या मराठी (मराठी) और दैनिक इंडियन एक्सप्रेस (इंग्रजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर - सोलापुर - अक्कलकोट- महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा (सोलापुर के लिए स्पर कनेक्टिविटी के साथ) ग्रीनफील्ड संरेखण किमी से 418/800 से कि.मी. 547/000 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अक्कलकोट				
	गांव का नाम: हसापूर				
1	102 Pt	निजी	जिरायत	0.52	रामा शंकर बेंद्रे, शंकर रामा बेंद्रे, लक्ष्मण रामा बेंद्रे, परमेश्वर रामा बेंद्रे, श्रीमंत रामा बेंद्रे आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (102 पै.)
2	103 Pt	निजी	जिरायत	0.16	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (103 पै.)
3	84 Pt	निजी	जिरायत	0.0961	महेश कल्याणराव इंगळे व इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (84/1)
4	84 Pt	निजी	जिरायत	0.0961	सय्यदा नुजहतफरजाना नवाबपाशा पिरजादे आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (84/2)
5	84 Pt	निजी	जिरायत	0.096	श्रीमंत मोनाप्पा सुतार आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (84/3)

6	85 Pt	निजी	जिरायत	0.33	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (85 पै.)
7	86 Pt	निजी	जिरायत	4.08	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (86 पै.)
8	87 Pt	निजी	जिरायत	6.85	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (87 पै.)
9	88 Pt	निजी	जिरायत	0.6001	निर्मला इरणा ठमके आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (88 पै.)
10	89 Pt	निजी	जिरायत	4.39	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (89 पै.)
11	90 Pt	निजी	जिरायत	1.01	अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (90 पै.)
12	91 Pt	निजी	जिरायत	2.03	मल्लिनाथ सातलिंगप्पा म्हेत्रे, देविराणी दिलीपचंद रजपूत, अनुप अनिल पुजारी, अनिल पांडुरंग पुजारी व इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (91 पै.)
13	92 Pt	निजी	जिरायत	5	मुग्धा मंदार पुजारी, माधवी मोहन पुजारी, मंदार मोहन पुजारी आणि इतर, अधिकार अभिलेखाप्रमाणे (92 पै.)
			कुल	25.2583	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2014(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 4791 (E) dated 07 Oct 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Six/Eight-laning etc.), maintenance management and operation of National Highway, in the stretch of land for newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Marathi (Marathi)” and “Daily Indian Express (English)” both dated 18.10.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for the newly proposed Ahmednagar - Solapur - Akkalkot- MH/KN Border (Including Spur Connectivity to Solapur Town) Greenfield alignment from Km. 418/800 to Km. 547/00 in Solapur District in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: SOLAPUR					
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Akkalkot				
	Village: Hasapur				
1	102 Pt	Private	Dry	0.52	Rama Shankar Bendre, Shankar Rama Bendre, Laxman Rama Bendre, Parmeshwar Rama Bendre, Shrimant Rama Bendre and Others, As Per Records of Right 102 Pt.
2	103 Pt	Private	Dry	0.16	As Per Records of Right 103 Pt.
3	84 Pt	Private	Dry	0.0961	Mahesh Kalyanrao Ingle and Others, As Per Records of Right 84/1
4	84 Pt	Private	Dry	0.0961	Sayyada Nujahatfarjana Nawabpasha Pirjade and Others, As Per Records of Right 84/2
5	84 Pt	Private	Dry	0.096	Shrimant Monappa Sutar and Others, As Per Records of Right 84/3
6	85 Pt	Private	Dry	0.33	As Per Records of Right 85 Pt.
7	86 Pt	Private	Dry	4.08	As Per Records of Right 86 Pt.
8	87 Pt	Private	Dry	6.85	As Per Records of Right 87 Pt.
9	88 Pt	Private	Dry	0.6001	Nirmala Iranna Thamke and Others, As Per Records of Right 88 Pt.

10	89 Pt	Private	Dry	4.39	As Per Records of Right 89 Pt.
11	90 Pt	Private	Dry	1.01	As Per Records of Right 90 Pt.
12	91 Pt	Private	Dry	2.03	Mallinath Satlingappa Mhetre, Devirani Dilipchand Rajput, Anup Anil Pujari, Anil Pandurang Pujari and Others, As Per Records of Right 91 Pt.
13	92 Pt	Private	Dry	5	Mugdha Mandar Pujari, Madhavi Mohan Pujari, Mandar Mohan Pujari and Others, As Per Records of Right 92 Pt.
			TOTAL	25.2583	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.